P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-4* ISSUE-8* April- 2017
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

महिला सशक्तीकरण : नए आयाम

अमित सोनी
प्रवक्ता,
समाजशास्त्र विभाग,
दयानन्द बछरावां पी0जी0 कालेज,
बछरावां, रायबरेली उ0प्र0

सारांश

वर्तमान में महिला सशक्तीकरण हमारे देश के समक्ष एक ज्वलंत प्रश्न है। समाज से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों, जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं शैक्षणिक इत्यादि में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस भागीदारी को निरन्तर गतिशील बनाए रखने के लिए केन्द्र एवं विभिन्न राज्य सरकारें भी अपनी विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। उदाहरण के लिए– उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री जन–धन योजना, बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ योजना, धन लक्ष्मी योजना, कन्या विद्या धन योजना, जननी सुरक्षा योजना, स्वयं सिद्धा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना इत्यादि।

महिला सशक्तीकरण की दिशा में ऐसे महत्वपूर्ण अधिनियम भी पारित किए गए हैं, जिन्होंने समय–समय पर महिलाओं एवं बालिकाओं को संरक्षण प्रदान करने में अपनी महती भूमिका निभाई है। जैसे– न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम, हिन्दू विवाह अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, वेश्यावृत्ति निवारण अधिनियम, भारतीय तलाक संशोधन अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम इत्यादि।

महिलाएं कृषि–क्षेत्र में आगे बढ़ें, इस हेतु समय–समय पर सरकार द्वारा उन्हें ऋण–सुविधा भी उपलब्ध करायी जाती है। विशेष रूप से कृषि–महिला–मजदूरों के विकास हेतु महिला–किसान सशक्तीकरण योजना का आरम्भ इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं एवं बालिकाओं की प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने हेतु सर्वशिक्षा अभियान तथा बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ योजनाओं का सूत्रपात किया गया, जिनके फलस्वरूप स्कूलों एवं कालेजों में उनके दाखिले का स्तर बढ़ा है और महिला–साक्षरता की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई।

महिलाएं अपनी पहचान बनाएं तथा समाज का नेतृत्व करें, इसे ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा अनेक प्रकार के पुरस्कारों की भी घोषणा की गई है, जैसे–रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, कन्नगी पुरस्कार, देवी अहिल्याबाई होल्कर पुरस्कार इत्यादि। इन पुरस्कारों के माध्यम से न केवल महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है, बल्कि वे स्वावलम्बी भी हुई हैं।

आज महिलाओं को पुलिस सेवा, सेना इत्यादि क्षेत्रों में समानता का अवसर भी उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में बड़े पैमाने पर महिला पुलिस स्वयं–सेवकों की भर्ती भी की जा रही है। विभिन्न रोजगार–योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे न केवल उनका मनोबल बढ़ा, बल्कि वे आर्थिक दृष्टि से भी सक्षम हुई है।

सरकार द्वारा मातृत्व–मृत्यु दर को भी नियन्त्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। नवीनतम आँकड़ों से यह स्पष्ट हुआ है कि बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के परिणामस्वरूप मातृत्व मृत्युदर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है।

उपर्युक्त प्रयासों के बावजूद महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। महिला सशक्तीकरण तभी संभव है, जब महिलाएं अपनी पहचान बनाने के लिए स्वयं प्रयास करें और समाज के समक्ष अपनी आदर्श भूमिका को प्रस्तुत करें।

मुख्य शब्द : महिला सशक्तीकरण की महत्वपूर्ण योजनाएं, अधिनियम, शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधाएं, रोजगार, जेण्डर–बजटिंग।

प्रस्तावना

विश्व में महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक समन्वित प्रयास, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिए गए नारे समानता, विकास और शान्ति के साथ आरम्भ हुआ,

जब संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों से महिलाओं की स्थिति पर एक रिपोर्ट माँगी। भारत में भी इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर 'नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर वुमेन' नामक एक प्रारूप तैयार किया गया, जिसने भारत में महिला सशक्तीकरण सम्बन्ध नीति को गति प्रदान की। इसी सन्दर्भ में वर्ष 2001 को 'राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति की घोषणा की गई। इस नीति का उद्देश्य महिलाओं की प्रगति, विकास एवं उनका सशक्तीकरण सुनिश्चित करने के साथ–साथ हर प्रकार के भेदभाव को समाप्त कर, उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वतन्त्रता एवं समानता के अवसर उपलब्ध कराना है।

उद्देश्य

भारत में महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण पदों को हासिल करने में सफल हुई हैं तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं, लेकिन वे अभी भी घरेलू–हिंसा व लैंगिक–भेदभाव का शिकार हैं। इस सन्दर्भ में लोगों को लैंगिक भेदभाव के प्रति जागरुक करने तथा सकारात्मक सामाजिक मूल्यों का सृजन करने हेतु, जो महिलाओं के अधिकारों का महत्व समझे, देशभर के कॉलेजों में जेंडर–चैंपियन्स के प्रावधान किए जा रहे हैं। इस दिशा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की भूमिका भी सराहनीय है, जिन्होंने इस सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देशों को जारी किया। लैंगिक–समानता को सुनिश्चित करने तथा महिलाओं के खिलाफ भेदभाव एवं हिंसा को समाप्त करने हेतु समावेशी समाज एवं विकास को पुष्ट किया जाना हमारे राष्ट्र का पुनीत कर्तव्य रहा है।

वर्तमान में महिलाओं में कुपोषण की समस्या देश के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे देश की हर तीसरी महिला कुपोषण की शिकार है और हर दूसरी महिला में खून की कमी है। इसका प्रमुख कारण हमारे देश में लगभग एक–तिहाई (34.8 प्रतिशत) महिलाओं का बॉडी मास इंडेक्स (बी0एम0आई0) बहुत कम है। इस समस्या को दूर करने हेतु समेकित बाल विकास सेवा (आई0सी0डी0एस0) योजना को सार्वभौमिक एवम् सशक्त बनाया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 14 लाख आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से देश के सभी जिलों एवं खण्डों को इसके दायरे में लाया गया। यह इस बात का उदाहरण है कि हमारा राष्ट्र 2 करोड़ गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और 6 वर्ष से छोटे 9.1 करोड़ बच्चों की पोषण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है।

इतना ही नहीं, मातृत्व–मृत्युदर अनुपात को भी चरणबद्ध तरीके से कम करने हेतु सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए गए हैं। इनमें जननी सुरक्षा योजना, जननी–शिशु सुरक्षा योजना, माताओं और बच्चों से सम्बन्धित जच्चा–बच्चा संरक्षण कार्ड, मातृत्व मृत्यु समीक्षा, टीकाकरण सेवा, प्रसव, प्रसव–पूर्व एवं प्रसव– उपरान्त समुचित देखभाल को सुनिश्चित करने हेतु जच्चा–बच्चा निगरानी प्रणाली इत्यादि प्रमुख हैं। इन प्रयासों के सार्थक परिणाम सामने आए हैं तथा हाल ही में एन0 एफ0 एच0 एस0 – 4 (2015–16) के नवीनतम आँकड़ों में यह बताया गया है कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को उपलब्ध करायी गई बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के परिणामस्वरूप मातृत्व मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावटी आयी है। इसमें पुरुषों की नसबन्दी और गर्भ निरोधकों के उपयेाग को बढ़ाने के लक्ष्य भी शामिल हैं। भारतीय रजिस्ट्रार जनरल, नमूना पंजीकरण प्रणाली (आर0 जी0 आई0– एस0 आर0 एस0) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, मातृत्व मृत्युदर 2007–09 और 2010–12 की अवधि में प्रति लाख जीवित प्रसव पर क्रमशः 212 और 1178 हो गई है।

महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं शैक्षणिक सशक्तीकरण हेतु मार्च 2010 को 'राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन' आरम्भ किया गया। इसका उद्देश्य भारतीय महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों, जैसे– शिक्षा, गरीबी, स्वास्थ्य, विधिक अधिकार तथा प्रमुख नीतियों, कार्यक्रमों एवं संस्थानात्मक प्रबन्धनों की बाधाओं को दूर करना है।

महिलाओं की दशा में सुधार लाने हेतु जहां अनेक अधिनियमों का प्रावधान स्वतन्त्रता–संग्राम के दौरान किया गया, जिनमें विधवा पुनर्विवाह अधिनियम (1856), बाल विवाह निषेध अधिनियम (1925), शारदा एक्ट (1929) जैसे अधिनियम प्रमुख हैं, वहीं स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् महिला–उन्मुख वातावरण पर बल दिया गया। साथ ही महिलाओं के प्रति सोच में परिवर्तन लाने हेतु अनेक अधिनियमों का निर्माण एवं उनका क्रियान्वयन किया गया, जिसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (1948), विशेष विवाह अधिनियम (1954), हिन्दू विवाह अधिनियम (1955), वेश्यावृत्ति निवारण अधिनियम (1956), दहेज निषेध अधिनियम (1961), भारतीय तलाक संशोधन अधिनियम (2001), घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (2005), महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम प्रतिषेध और निवारण) विधेयक (2012) और महिलाओं के खिलाफ जघन्य यौन अपराध विधेयक (2013) प्रमुख हैं। इन संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विकास की नींव रखी गई, जिन्हें आगामी योजनाओं, कार्यक्रमों के माध्यम से और भी सशक्त करने का प्रयास किया गया।

हाल ही में प्रारम्भ की गई 'स्वयं सिद्धा योजना' का उद्देश्य महिलाओं का सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरण करना है। इसके अन्तर्गत 69615 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया। वर्ष 2001–02 में आरम्भ 'स्वधारा योजना' के माध्यम से निराश्रित महिलाओं को भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य–देखभाल एवं परामर्श सम्बन्धी सेवाएं उपलब्ध करायी गयी हैं। वर्ष 2002 में आरम्भ 'स्वर्णिम योजना' के अन्तर्गत महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने हेतु 50 हजार रूपए तक का ऋण उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। 11 फरवरी, 2005 को शुरू की गई आशा योजना के अन्तर्गत स्थानीय स्तर पर ग्रामीण महिलाओं को स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु एक आशा कार्यकर्ता की तैनाती का प्रावधान किया गया है। 2 अक्टूबर, 1997 से आरम्भ बालिका समृद्धि योजना बच्ची के जन्म के समय 500 रूपये की राशि (केवल दो लड़कियों तक) देने का प्रावधान करती है।

इतना ही नहीं, अल्पावधि प्रवास गृह योजना के माध्यम से पारिवारिक विवादों, सामाजिक बहिष्कार, नैतिक पतन की शिकार एवं अन्य सामाजिक, आर्थिक, भावनात्मक परेशानियों का सामना कर रही महिलाओं एवं बालिकाओं को पुनर्वास सम्बन्धी सहायता उपलब्ध करायी गई है। महिला उद्यमियों को सार्वजनिक बैंकों के द्वारा अधिक मात्रा में एवं आसान शर्तों पर बैंक–ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। महिलाओं के उत्थान एवं विकास को ध्यान में रखते हुए ही वर्ष 2004–05 में जेण्डर–बजटिंग को आरम्भ किया गया है। इसका उद्देश्य लैंगिक–असमानता को समाप्त करना है।

उज्जवला योजना का आरम्भ महिलाओं की खरीद–फरोख्त की रोकथाम तथा व्यवसायिक यौन शोषण की शिकार महिलाओं के उद्धार, पुनर्वास एवं समाज की मुख्य धारा से उन्हें पुनः जोड़ने हेतु की गई है। मार्च 2008 में महिला शिशुओं को समाज में उचित स्थान दिलाने हेतु धन लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गयी है, जिसके अन्तर्गत बच्ची के जन्म से लेकर, उसके विवाह होने तक, एक निश्चित राशि का हस्तान्तरण उसके परिवार को किया जाएगा। इसके अन्तर्गत किशोरियों को पोषण, स्वास्थ्य, परिवार–कल्याण, प्रजनन और यौन–स्वास्थ्य, बच्चों की देखभाल और जीवन–कौशल के बारे में भी शिक्षित करने का प्रावधान है। जीवन भारती महिला सुरक्षा योजना, ग्रामीण महिलाओं को गम्भीर बीमारियों एवं उनके शिशुओं को जन्मजात अपंगता की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करती है।

प्रसूति एवं दुग्धपान कराने वाली माताओं के लिए एक नई इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का सूत्रपात किया गया है। इसके अन्तर्गत 19 वर्ष से अधिक आयु की गर्भवती महिलाओं को 4000 रूपए की सहायता राशि उपलब्ध करायी जाती है। कृषक–महिलाओं एवं कृषि–महिला मज़दूरों के समुचित विकास हेतु महिला–किसान सशक्तीकरण योजना का आरम्भ किया गया, जिसके अन्तर्गत कृषि हेतु ऋण सुविधा प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय–पोषाहार मिशन गरीबी–रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराता है।

स्वतन्त्रता–प्राप्ति के पश्चात् भारतीय महिलाओं ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वाह किया है और इन क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की है। महिलाएं अपनी पहचान बनाएं, इसको ध्यान में रखते हुए वर्ष 1999 में भारत सरकार ने स्त्री–शक्ति के नाम से अनेक पुरस्कारों की घोषणा की, जिनमें देवी अहिल्याबाई होल्कर, कन्नगी, माता जीजाबाई, रानी गिडेनेलु जेलियांग और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार प्रमुख हैं।

वर्ष 2008 के एक सर्वेक्षण में 42 प्रतिशत लड़कियों ने यह बताया कि वे स्कूल इसलिए छोड़ देती हैं, क्योंकि उनके माता–पिता उन्हें घर सँभालने और छोटे भाई–बहनों की देखभाल करने को कहते हैं। इस समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का आरम्भ देश के 100 जिलों में किया गया। इसके फलस्वरूप देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में लड़कियों के दाखिले में वृद्धि हुई और स्कूल छोड़ने की दर में कमी आई है। सर्वशिक्षा अभियान के तहत् एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का आरम्भ किया गया है, जिसे पढ़े भारत–बढ़े भारत के नाम से भी जाना जाता है। इसके अन्तर्गत यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि कक्षा एक और दो के बच्चों का पढने, किसी भाषा में अनुच्छेद लिखने का स्तर सराहनीय हो। यह अभियान हर स्कूल में 800 शिक्षण–घंटों के साथ–साथ 200 स्कूली दिवस भी सुनिश्चित करता है। देश भर में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सामुदायिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुनिश्चित करने हेतु विद्यांजलि (स्वयं सेवी स्कूल कार्यक्रम) भी आरम्भ किया गया है, जो उन स्कूलों में अपनी सेवाएं प्रदान करता है, जिन्हें उनकी जरूरत है।

नारी–सशक्तीकरण की दिशा में ही पुलिस सेवा के अन्तर्गत नारी संवेदी पुलिस–तंत्र, नीतियां तथा संचालन–प्रक्रियाओं में नारी–सम्बन्धी मुद्दों को एकीकृत करने हेतु एक नई योजना को मूर्त रूप दिया गया है। महिलाओं और पुलिस के मध्य बेहतर संवाद को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में बड़े पैमाने पर महिला पुलिस स्वयं सेवकों की भर्ती की जा रही है। इसका उद्देश्य घरेलू–हिंसा, बाल–विवाह, दहेज–उत्पीड़न जैसे मामलों में रिपोर्ट दर्ज कर, त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करना है।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तथा राष्ट्रीय–ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी योजनाओं ने ग्रामीण महिलाओं को न केवल आजीविका के साधन उपलब्ध कराए हैं, बल्कि उन्हें आर्थिक मामलों में सशक्त भी बनाया है। इसने ग्रामीण परिसम्पत्ति के सृजन में सहायता भी दी। वित्तीय समावेशन को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जन–धन योजना के अन्तर्गत पहली बार लाखों महिलाओं का बैंक खाता खोला गया, जिससे उनमें आत्म विश्वास जागा और उन्हें निर्धनता एवं ऋण के दुष्चक्र से मुक्त होने का अवसर भी प्राप्त हुआ। एक सर्वेक्षण के मुताबिक करीब 47 प्रतिशत महिलाएं सरकार के इस कदम से लाभान्वित हुई हैं। महिलाओं में कौशल एवं रोजगार को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय कौशल विकास नीति एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी0एम0के0वी0आई0) के अन्तर्गत अनेक ऐसे क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है, जो महिलाओं को अधिकाधिक रोजगार देने में सक्षम हैं। आई0एफ0ए0डी0 की सहायता से संचालित प्रियदर्शिनी योजना का उद्देश्य महिलाओं और किशोरियों के कमजोर समूहों के समग्र सशक्तीकरण (आर्थिक और सामाजिक) हेतु महिला–स्वसहायता समूहों के गठन और उन्नत आजीविका अवसरों को बढ़ावा देना है।

निष्कर्ष

यद्यपि सामाजिक एवं सरकारी तौर पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के हर संभव प्रयास किए गए हैं, तथापि ये सभी प्रयास इस उद्देश्य को पूरा करने हेतु आंशिक रूप में ही सफल पाए गए हैं। महिलाओं को शिक्षा, समानता और रोजगार के अधिकार से वंचित करना और उनके विरुद्ध हिंसा का प्रदर्शन, अभी भी एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। इस चुनौती से निपटने हेतु महिलाओं के लिए एक नई राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार

करना होगा, जिसमें प्राथमिकता वाले मुख्य क्षेत्रों जैसे– शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, प्रशासन एवं नीति–निर्धारण, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, आधारिक संरचना के सन्दर्भ में वातावरण को सक्षम बनाना, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता, मॉस मीडिया, सामाजिक सुरक्षा एवं सहायता इत्यादि का समावेश किया जाए। वास्तव में महिलाओं का सशक्तीकरण तभी संभव है, जबकि महिलाएं अपनी पहचान स्वयं बनाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी भूमिका आदर्श बन सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *नारी संवेदी अवसंरचनाएं : समय की माँग (लेख), योजना मासिक पत्रिका, नई दिल्ली, सितम्बर, 2016*
2. *महिला सशक्तीकरण में सरकार की भूमिका, शोध–ऋतु त्रैमासिक पत्रिका, महाराष्ट्र, दिसम्बर 2016*
3. *अरोड़ा, रमेश के0 : पीपुल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलमेंट प्रॉसेस (दी एच0सी0एम0–स्टेट इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जयपुर, 1979)*
4. *भटनागर, एस0 : रूरल लोकल गवर्नमेण्ट इन इण्डिया (लाइफ एण्ड लाइट पब्लिशर्स नई दिल्ली, 1978)*
5. *नरवानी जी0एस0 : पंचायत प्रशासन क्या और कैसे : शंकाएं एवं समाधान (यूनिवर्सिटी बुक हाउस, जयपुर, वर्ष 2001)*
6. *नेहरू जवाहर लाल : सामुदायिक विकास और पंचायती राज (सत्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन, दिल्ली, 1965)*
7. *सिंह, बामेश्वर : भारत में स्थानीय स्वशासन (राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2001)*
8. *यादव, सुबेह सिंह : ग्रामीण विकास के नए क्षितिज (मानक पब्लिकेशन्स प्रा0लि0, दिल्ली, 1994)*